न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 77/2024 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा
हनीफ पुत्र सदरू मेव मुसलमान निवासी कोलकांव तहसील फिरोलजपुर झिरका नूंह मेवात हरियाणा।

...प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए राजकीय अधिवक्ता दौसा

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी अंतर्गत एफ.आई.आर. नंबर 85/2024 पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा जुर्म धारा अंतर्गत 5/8 राज0 गोवंश अधिनियम 3/18 146/196 एम.वी. एक्ट

उपस्थित:1. श्री अब्दुल मजीद, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक:04.09.2024

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा द्वारा दिनांक 27.2.2024 को 05 नर गोवंश भरकर ले जा रही पिक अप वाहन संख्या एच.आर.74, बी–6269 को अभियोग संख्या 85/2024 अंतर्गत धारा 5, 8 गोवंश अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा द्वारा उक्त पिक अप वाहन संख्या एमपी 11 जी 2059 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना सदर जिला दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति राजकीय अधिवक्ता को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा द्वारा जुर्म धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंश अधिनियम के तहत वाहन पिकअप नंबर एच.आर.74 बी 6269 को को उक्त जुर्म में जब्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है एवं उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकारी है।प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना सदर में खडा–खडा खराब हो रहा है। उक्त वाहन की पुलिस को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को उक्त वाहन के अभाव में आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी को उक्त वाहन की आवश्यकता है जिसे सुपुर्दगी पर दिया जाना आवश्यसक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी उक्त वाहन [illegible] प्राप्त करने का मुखत्यारआम की हैसियत से अधिकारी है।प्रार्थी म[illegible] न्यायालय के आदेशानुसार संतुष्टि के सुपुर्दगीनामा व जमानत[illegible] तैयार है। उक्त वाहन को पुलिस द्वारा सरासर गलत तरीके से लिया [illegible] है। प्रार्थी का वा[illegible] किसी भी प्रकार से गोवंश अधिनियम के तहत जब्त करने य[illegible] नहीं था। क्योंकि प्र[illegible] पास नगर निग जयपुर हैरिटेज रवन्ना शुल्क रसीद सं0 038 बुक नंबर 248013 जोन एच.एम.ए.जैड. दिनांक 27.2.2024 नाम पशु विकेता हटवाडा जयपुर नाम खरीदार कमलेश्या पुत्र

जिला कलक्टर,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:15:47 IST
Reason: SelfAttested

कल्याणसहाय गुर्जर निवासी क0.सं. 1 पशु का नाम व हुलिया 3 गाय व 02 बच्चा नग 05 दर 100 राशि 500 क.सं. 4 पैडा/ठीया शुल्क राशि 100/— कुल योग राशि 6000/— इस हुलिया पशु की कीमत 62000/— वाहन पिक अप एच.आर.74 बी 6269 दिनांक 27.2.2024 को जारी किया गया है जो कि प्रार्थी के पास था जिसे प्रार्थी द्वारा पुलिस को बताया व दिखाया गया था किन्तु इसके बावजूद भी सरासर गलत तरीके से प्रार्थी के वाहन को जब्त किया गया है। ऐसी दशा में उक्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा द्वारा जब्तशुदा पिक अप वाहन संख्या एच.आर.74 बी 6269 को सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त (2024:RJ-JP23633) की प्रति प्रस्तुत की गई।

4. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा पिक अप वाहन संख्या एच.आर.74 बी 6269 को अभियोग संख्या 85/2024 में राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिनांक 27.02.2024 को जब्त किया गया था। राजकीय अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा पिक अप वाहन संख्या एच.आर.74 बी 6269 को 05 गो वंश नर का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। अभी तक पुलिस द्वारा प्रकरण में अनुसंधान नहीं किया गया है। यदि प्रार्थी को वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो पुलिस द्वारा वाहन के अभाव में अनुसंधान समुचित प्रकार से नहीं हो सकेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

5. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय की पत्रावली एवं पुलिस थाना सदर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं न्यायिक दृष्टान्त तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुलिस थाना सदर जिला दौसा द्वारा दिनांक 27.2.2024.2024 को जुर्म धारा 5, 6, 8 राजस्थान गो वंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत पिक अप वाहन संख्या एच.आर.74 बी 6269 में 03 बडी गायें व दो छोटे बछडे गोवंश भर कर जिनके मुंह व पैरों को बांधकर उक्त गोवंश को वध करने के लिए नूंह मेवात ले जा रहे थे, को जब्त किया गया था। प्रार्थी का यह कथन सर्वथा असत्य है कि प्रार्थी के वाहन से कोई गोवंश जब्त नहीं हुआ। साथ ही अभी तक पुलिस द्वारा अनुसंधान भी पूर्ण नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा गोवंश पशुधन को विधिक रूप से क्रय किये जाने का कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया है। गोवंश का अवैध परिवहन किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। हम जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है। पुलिस थाना सदर जिला दौसा की मूल केस डायरी निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:15:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक ... को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official